बिहार में ग्राम-पंचायत का संगठन (Organization of Village-Panchayats in Bihar)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद सन् 1947 में ही 'बिहार पंचायत राज अधिनियम' पास किया गया। इसका उद्देश्य एक ओर सत्ता का समुचित रूप से विकेन्द्रीकरण करना तथा दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर गाँव के लोगों को लोकतन्त्रिक व्यवस्था में सहभाग करने का प्रशिक्षण देना था। बिहार पंचायत राज अधिनियम में समय-समय पर इस तरह (प्रकार) संशोधन किये जाते रहे हैं जिससे इसे अधिक व्यावहारिक बनाया जा सके। मुख्य संशोधन सन् 1959, 1961, 1962, 1978, 1982, 1993 एवं 2006 में किये गये।

पंचायत राज योजना का उद्घाटन सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 को प्रधानमन्त्री श्री नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। इसके तुरन्त बाद इसे आन्ध्र प्रदेश में तथा क्रमशः अन्य राज्यों में अपनाया गया। 1963 तक भारतीय संघ के सभी राज्यों में इसकी स्थापना हो गयी।

जनता की भागीदारी पंचायत राज की समस्त व्यवस्था का मूल तत्व है और इन संस्थाओं का गठन तथा समस्त कार्य संचालन लोकतान्त्रिक आधार पर हो।

1993 ई० पंचायत राज या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध में 73 वें संविधान संशोधन

Created By Sign Doc

अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा एक नया भाग, भाग 9 तथा एक नयी अनुसूची ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी और संविधान संशोधन के आधार पर कुछ प्रमुख निम्न व्यवस्थाएँ की गई है:

संरचना - ग्राम सभा - प्रत्येक गाँव के सभी व्यवस्क नागरिकों से मिलकर बनने वाली सभा को ग्राम सभा का नाम दिया गया। यह ग्राम सभा गाँव के स्तर पर एकी शक्ति का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी, जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर निश्चित करे।

त्रिस्तरीय पंचायत ढांचा - ग्राम-पंचायत राज व्यवस्था के तीन स्तर ग्राम-पंचायत प्रखण्ड समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है।

चुनाव की विधि - ग्राम पंचायत का चुनाव सभी स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से होगा।

सदस्यों की योग्यता - नागरिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

कार्यकाल - पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

पंचायतों के निर्वाचन - राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा।

शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व - ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। कुछ प्रमुख विषय है - कृषि एवं विस्तार, भूमि सुधार, चकबन्दी, लघु सिंचाई, पशु पालन, पेयजल, इंधन, चारा, प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय, परिवार कल्याण, और बाल विकास आदि।

वित्त आयोग की नियुक्ति - यह राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच धन के बंटवारे के सम्बन्ध में सिफारिश करेगा।

Created By Sign Doc